न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/196

रामरतन आत्मज छोट्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम कूमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

1. लक्ष्मण आत्मज बिरधी लाल जाति गुर्जर ।
2. भूली बेवा मांगीलाल कथाकथित पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बांगरोध चम्बल ढीबरी के पास तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. सियाराम आत्मज प्रभूलाल जी ।
4. भंवर लाल आत्मज प्रभूलाल जी ।
5. भोजकंवर आत्मज प्रभूलाल जी ।
6. हेमराज आत्मज प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूंमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. पोरसी बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नी देवलीलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बराना सुल्तानपुर के पास, तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/451

रामरतन आत्मज छोट्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम कूमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

9. लक्ष्मण आत्मज बिरधी लाल जाति गुर्जर ।
10. भूली बेवा मांगीलाल कथाकथित पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बांगरोध चम्बल ढीबरी के पास तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
11. सियाराम आत्मज प्रभूलाल जी ।
12. भंवर लाल आत्मज प्रभूलाल जी ।
13. भोजकंवर आत्मज प्रभूलाल जी ।
14. रामकुंवार आत्मज प्रभूलाल जी ।

15. हेमराज आत्मज प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूंमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
16. पोरसी बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नी देवलीलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बराना सुल्तानपुर के पास, तहसील दीगोद जिला कोटा ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/507

रामरतन आत्मज छोट्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम कूमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

1. लक्ष्मण आत्मज बिरधी लाल जाति गुर्जर ।
2. भूली बेवा मांगीलाल कथाकथित पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बांगरोध चम्बल ढीबरी के पास तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. सियाराम आत्मज प्रभूलाल जी ।
4. भंवर लाल आत्मज प्रभूलाल जी ।
5. भोजकंवर आत्मज प्रभूलाल जी ।
6. रामकुंवार आत्मज प्रभूलाल जी ।
7. हेमराज आत्मज प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूंमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. पोरसी बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नी देवलीलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बराना सुल्तानपुर के पास, तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 19/377

रामरतन आत्मज छोट्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम कूमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

1. लक्ष्मण आत्मज बिरधी लाल जाति गुर्जर ।
2. भूली बेवा मांगीलाल कथाकथित पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बांगरोध चम्बल ढीबरी के पास तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

3. सियाराम आत्मज प्रभूलाल जी ।
4. भंवर लाल आत्मज प्रभूलाल जी ।
5. भोजकंवर आत्मज प्रभूलाल जी ।
6. रामकुंवार आत्मज प्रभूलाल जी ।
7. हेमराज आत्मज प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूंमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. पोरसी बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नी देवलीलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बराना सुल्तानपुर के पास, तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से चारों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 30.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त चारों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.07.2016 तथा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त चारों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त चारों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 78/10 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कूमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 04 किता की रकबा 3.62 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण कम 3 से 09 का 1/2 हिस्सा निहित है । वादी के पिता छोटू जी तीन भाई थे बिरधा, बिहारी व छोटू जिनके पिता औंकार जी थे जिनके ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा व खूमला जागीर तहसील दीगोद में कृषि भूमि थी परन्तु पारिवारिक बंटवारे में भूमि वादी के हिस्से में ग्राम खूमला की भूमि का 1/2 हिस्सा आया और उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 1 से 2 व छोटू जी के अन्य वारिसों का नाम दर्ज है । छोटू जी के वारिसान सियाराम, उर्फ सवाईराम, जगदीश, रामेश्वर, पप्पू, भूरी बाई, नट्टी बाई, पार्वती बाई, गोकुल बाई, केला बाई, प्रेमबाई, जनकुबाई द्वारा वादी के हिस्से में उक्त आराजी से दिनांक 06.06.2010 को रिलीज डीड आलेखित कर दी जिसका इंतकाल संख्या 55 से उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज हो गई । परन्तु उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम दर्ज रह गया है । प्रतिवादी कम 1 व 2 व सियाराम, उर्फ सवाईराम,

जगदीश, रामेश्वर, पप्पू, भूरी बाई, नट्टी बाई, पार्वती बाई, गोकुल बाई, केला बाई, प्रेमबाई, जनकुबाई के हिस्से में ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कुल 04 किता की 8.98 हैक्टर आराजी आयी है जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी का नाम छोटू जी के स्थान पर इसलिए दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उसके हिस्से में पारिवारिक बंटवारा अनुसार खूमला जागीर की भूमि दे दी गई थी जिससे उक्त भूमि का प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का कोई सम्बन्ध नहीं होने से उनका नाम खाते से हटाया जाना आवश्यक है । उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम खूमला जागीर तहसील दीगोद की वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/2 हिस्से में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें और न ही वादी को बेदखल करें ।

5. इसी प्रकार वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 73/11 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम कूमला जागीर तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 04 किता की रकबा 3.62 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 01 का राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 02 से 8 का 1/2 हिस्सा है उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 124 में गैर मु0 धोरा है तथा आराजी खसरा नम्बर 180 पर बाडा बना हुआ है । प्रतिवादीगण उक्त आराजी के काश्त के सम्बन्ध में बाडा व धोरे के उपयोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा लगान पिलाई आदि जमा करवाने में भी झगडा करते हैं इसलिए उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

6. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादीगण का पृथक खाता कायम कर उनको उनके हिस्से की आराजी पर पृथक से कब्जा दिलवाया जावे व पृथक लगान कायम करने का आदेश पारित किया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 02.06.2015 के द्वारा वाद संख्या 73/11 वादीगण स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी तथा लोक अदालत में अपने निर्णय दिनांक 29.07.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की तथा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2015 व 22.05.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज किया गया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.07.2015 एवं निर्णय दिनांक 22.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामरतन ने न्यायालय हाजा में चारों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट को लोक अदालत का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना

नहीं की गई है, राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण हैं । अतः चारों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.07.2015 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

9. अपीलान्ट ने चारों अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर दिनांक 25.08.2017 को हुई तब अपने वकील साहब से सम्पर्क कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में दोनों अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. चारों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्टगण के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

11. चारों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का दावा डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी औंकार जी के खाते एवं कब्जे की थी । औंकार जी के 03 पुत्र छोटू, बिरधा एवं बिहारी लाल थे । बिहारी लाल जी का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया । औंकार जी की सम्पत्ति में केवल छोटू जी व बिरधा उर्फ बिरधीलाल रहे । बिरधी लाल जी का एक मात्र पुत्र लक्ष्मण है । छोटू जी अपीलान्ट के पिता हैं । छोटू जी के अपीलान्ट एवं चार अन्य पुत्र हैं । औंकार जी की ग्राम खूमला जागीर तहसील दीगोद में एवं ग्राम शेरपुर में आराजी स्थित है जिसमें औंकार जी के दोनों पुत्र छोटू व बिरधा का 1/2 – 1/2 हिस्सा एवं अधिकार है । अपीलान्ट को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । दोनों दावों को समेकित किये बिना अपीलान्ट का दावा खारिज किया है और रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया है । लोक अदालत का कोई नोटिस अपीलान्ट को नही दिया गया । कोई राजीनामा भी पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ है सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पारिवारिक समझौते के अनुसार जो बंटवारा हुआ उसमें ग्राम खूमला जागीर स्थित आराजी में रेस्पोडेन्टगण को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ और ग्राम शेरपुर की आराजी में अपीलान्ट को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ । ग्राम खूमला जागीर की आराजी में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा त्रुटिपूर्ण दर्ज है जिसको दुरूस्त करने के लिए दावा पेश कर रखा है । दोनों दावे समान पक्षकारों के मध्य एवं समान आराजी के बाबत् होने के बावजूद केवल मात्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम चारों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्टगण ने अपने–अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः

न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 78/10 दिनांक 19.06.2014 की आदेशिका के अनुसार प्रतिपक्षी कम 1व 4 की तामील में लम्बित थी और इसी में तारीख पेशियॉ दी जाती रहीं इसके उपरान्त दिनांक 23.04.2015 की आदेशिका के अनुसार इसमें दिनांक 02.06.2015 के लिए लोक अदालत में रखा गया । दिनांक 02.06.2015 की आदेशिका के अनुसार प्रार्थी उपस्थित हुए हैं परन्तु उन्होंने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है और आदेशिका पर भंवर लाल प्रतिवादी कम 04, सीताराम प्रतिवादी कम 03, भोजकुंवर प्रतिवादी कम 05, की अंगूठा निशानी और रामकुंवार प्रतिवादी कम 06, हेमराज प्रतिवादी कम 07 और पेारसी बाई प्रतिवादी कम 09 के हस्ताक्षर हैं । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है और उसी दिन अन्य प्रकरण संख्या 73/2011 में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया गया है । दिनांक 22.05.2018 को प्रकरण संख्या 73/2011 का निस्तारण हो चुका है, अतः प्रकरण खारिज किया जाता है अंकित किया गया है ।

14. प्रकरण संख्या 73/2011 अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जिसमें दिनांक 19.06.2014 के अनुसार पत्रावली जवाब प्रतिवादी संख्या 01 एवं सरकार में लम्बित थी और तारीख पेशियॉ दी जाती रहीं । दिनांक 23.04.2015 की आदेशिका के अनुसार इसको लोक अदालत हेतु दिनांक 02.06.2015 को रखा गया । दिनांक 02.06.2015 की आदेशिका के अनुसार प्रार्थी अनुपस्थित हैं और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 07 की उपस्थिति दर्ज की गई है । न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन प्रतिवादी कम 2 से 7 की स्वीकृति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और दिनांक 11.07.2016 को उसी प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी की गई है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गई है उसमें राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जो कि आवश्यक है । प्रकरण संख्या 78/2010 में बिना दोनों पत्रावलियों को समेकित किये लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना दिनांक 02.06.2015 को पत्रावली को प्रकरण संख्या 73/2011 के साथ संलग्न करने के आदेश पारित किये गये हैं और दिनांक 22.05.2018 को 73/2011 में निर्णय के आधार पर प्रकरण को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जो त्रुटिपूण हैं ।

16. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर चारों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.07.2016 प्रकरण संख्या 73/11 तथा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2015 व 22.05.2018 प्रकरण संख्या 78/10 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों दावों को समेकित करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा